

न्यायालय सहायक कलक्टर आमैर मुं जयपुर

प्रभु खनाम अर्जुन

पत्र सं. 33/2021

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27 ⁰⁶ / ₂₀₂₂ नि-प्रभु सहायक कलक्टर 27/6/22	<p>आज यह पत्रावली मूलवाद में शीघ्र-सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश होने पर पेश हुई। वादी/प्रार्थी मय अधिकता श्री-बनवारी लाल शर्मा उपस्थित/वादी/प्रार्थी द्वारा मूलवाद पत्र उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण विज्ञो किया जा चुका है।</p> <p>अतः मूलवाद विज्ञो हो जाने के कारण इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रा० पत्र को निर्णित किया जाकर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली कैमल कुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>सहायक कलक्टर आमैर मुं जयपुर</p>

